

॥ विमला प्रसाद ॥ 2018/0759

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट
रीवा, म०प्र०



RS. 40/-

विमला प्रसाद पाण्डेय तनय स्व० देवीधीन पाण्डेय, उम्र 80 साल, पेशा कृषि, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी 9/243 सुन्दर नगर बोदाबाग रीवा, म०प्र०

निगरानीकर्ता

बनाम्

अजय पाण्डेय तनय श्री सतसूदन पाण्डेय, उम्र 48 वर्ष, पेशा कृषि निवासी बोदा, वार्ड क्रमांक 08, तह० हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय तह० हुजूर, के रा०प्र०क० 229अ-74/14-15 आदेश दिनांक 10.09.2015 बावत भूमि क्रमांक 645/1 रकवा 0.154हे. स्थित बोदा तह० हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1929 ई०

अध्या. श्री कल्याण शर्मा
द्वारा पेशा 30-01-18

कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-


यह कि निगरानीकर्ता के पिता स्व० देवीदीन पाण्डेय आराजी नं० 645/1, 644 स्थित ग्राम बोदा, के मालिक भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी थे, उनके द्वारा अपने तीन पुत्र केमला प्रसाद, विमला प्रसाद, व मिथिला प्रसाद का बटवारा किया गया था,

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ग.नि.ग.प.सी.वा./२०१८/०७६७ जिला शेवा

विमला प्रसाद विरुद्ध उभयपक्ष

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>हजरात शर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह नामब तहसीलदार तहसील <u>हुप्पूर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>२२७/अ-७५/२०१४-१५</u> में पारित आदेश दिनांक <u>१०.०९.१५</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>शेवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>२९.०३.१९</u> को कलेक्टर <u>शेवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p align="right"> सदस्य</p>	

विमला प्रसाद, व मिथिला प्रसाद का बटवारा किया गया था।

